संख्या-370/2018/2644/22-2-2017-17(381)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2018***

विषय:- जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह उर्फ बदन सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36355/प्रोबे0-5-दयायाचिका/1027 दिनांक 06.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह उर्फ बदन सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह, जो-ग्राम-खेडा जलालपुर, थाना-उसहैत, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी की रंजिश को लेकर दिनांक 06.09.1981 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला एवं लाठियों से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-599/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश (हायर क्रि0 कोर्ट), बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2017 तक 02 वर्ष 09 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बादाम सिंह उर्फ बदन सिंह (बन्दी संख्या-223/15) पुत्र श्री पृथ्वीसिंह निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-370/2018/2644(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार बदायूँ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in